Date - 7 April 2022

आईएनएस वलसुरा

- हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने आईएनएस (भारतीय नौसेना पोत) 'वलसुरा' को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किया।

'राष्ट्रपति के रंग' का अर्थ:

- यह देश के लिए असाधारण सेवाओं के लिए भारत में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
- तीन रक्षा बलों में, भारतीय नौसेना पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी जिसे वर्ष 1951 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 'राष्ट्रपति के रंग' से सम्मानित किया गया था।

विरासत:

- सेना में 'राष्ट्रपति के रंग' की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी कि सेना। प्राचीन भारत में, जब भी विभिन्न राजाओं की सेनाएं युद्ध के लिए जाती थीं, वे अपने साथ 'झंडा' ले जाते थे।
- प्राचीन मिस्र या रोम की सेनाओं में भी इन परंपराओं का पालन किया जाता था, जहां सेनाएं युद्ध में झंडे और 'रोमन चील' लेकर चलती थीं।
- भारत के साथ-साथ कई राष्ट्रमंडल देशों में यह परंपरा ब्रिटिश सेना से ली गई है।
- परंपरागत रूप से इसके साथ चार प्रकार के प्रतीक जुड़े हुए हैं – मानक, दिशानिर्देश, रंग और बैनर।
- इन्फैंट्री रेजिमेंटों, सेना प्रतिष्ठानों और नौसेना और वायु सेना इकाइयों को 'राष्ट्रपति के रंग' से सम्मानित किया जाता है, जबकि बख्तरबंद रेजिमेंटों को 'मानकों' से सम्मानित किया जाता है।
- रेजिमेंट के युद्ध सम्मान 'राष्ट्रपति के रंग' पर प्रदर्शित होते हैं और इसलिए रेजिमेंट के अतीत की एक कड़ी के रूप में काम करते हैं।

आईएनएस वलसुरा:

इतिहास:

Yojna IAS

- 'वलसुरा' नाम दो तमिल शब्दों- 'वैल' (अर्थ तलवार) और 'सोरा' (अर्थ शार्क) के मेल से बना है। सौराष्ट्र के तट पर पाई जाने वाली स्वोर्डफ़िश की विविधता के कारण इसे उपयुक्त माना गया।
- स्वोर्डफ़िश द्वितीय विश्व युद्ध के टारपीडो ले जाने वाले विमान का भी नाम था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय शाही नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए यूनिट को टारपीडो प्रशिक्षण स्कूल के रूप में कमीशन किया गया था।
- इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1942 को नवानगर की तत्कालीन महारानी गुलाब कुंवरबा साहिबा ने की थी। स्वतंत्रता के बाद, 1 जुलाई 1950 को HMIS वलसुरा का नाम बदलकर INS वलसुरा कर दिया गया।

महत्वपूर्ण आउटरीच गतिविधि:

- गुजरात में विनाशकारी भूकंप के बाद वलसुरा द्वारा एक उल्लेखनीय 'आउटरीच' गतिविधि की गई।
- इसने एक निर्धारित रिकॉर्ड समय में भूकंप से तबाह मोडा गांव की बहाली और एक नए नेवी मोडा गांव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इस उपलब्धि को नौसेना द्वारा मान्यता दी गई थी जब दिसंबर 2001 में यूनिट को विशेष यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था, जो सामान्य रूप से परिचालन इकाइयों के लिए आरक्षित एक सम्मान था।

आईएनएस वलसुरा की वर्तमान स्थिति:

- यह इकाई प्रशिक्षण अवसंरचना के प्रगतिशील संवर्धन के माध्यम से समकालीन और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और मीडियम वोल्टेज लैब की स्थापना अधिकारियों और नाविकों के प्रशिक्षण और समकालीन प्रौद्योगिकी में तकनीकी उत्कृष्टता के लिए एक अनूठा उदाहरण है।
- आईएनएस वलसुरा मित्रवत विदेशी नौसेनाओं के लिए पसंदीदा प्रशिक्षण गंतव्य के रूप में भी उभरा है।
- आईएनएस वलसुरा ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारत की मदद की है।

Yojna IAS

क्वाड ग्रुप

- विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड की सदस्यता और प्रभाव दोनों बढ़ाना, एशिया में चीन की बुलंद महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिडेन प्रशासन की रणनीति के आधार के रूप में काम कर सकता है।
- इसके लिए विशेषज्ञों ने दक्षिण कोरिया को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद 'क्वाड' में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया है।

'क्वाड' में 'दक्षिण कोरिया' को शामिल करने का कारण:

- दक्षिण कोरिया की आबादी लगभग 50 मिलियन है, और इसकी अर्थव्यवस्था अब कनाडा या रूस के बराबर जी7 है।
- इसकी आबादी 600,000 सैनिकों और महिलाओं की है, और इसका सैन्य बजट 50 अरब अमेरिकी डॉलर (5 अरब डॉलर) है, जो जल्द ही जापान से आगे निकल जाएगा। इन सभी तथ्यों को देखते हुए दक्षिण कोरिया का क्वाड के साथ जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

'क्वाड ग्रुपिंग':

- क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता संगठन है जिसमें जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देश शामिल हैं।
- इस समूह के सभी सदस्य देश लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और गैर-बाधित समुद्री व्यापार और सुरक्षा के हितों को साझा करते हैं।
- समूह को अक्सर "एशियाई" या "मिनी" नाटो के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसे भारत-प्रशांत में चीन के सैन्य और आर्थिक दबदबे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है।

क्वाड ग्रुप की उत्पत्ति:

- क्वाड समूह की उत्पत्ति 2004 की सुनामी के बाद राहत प्रयासों के लिए चार देशों के समन्वित प्रयासों से हुई है।
- इसके बाद 2007 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ये चारों देश पहली बार मिले।
- इसका उद्देश्य चार देशों, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना था।

इस संगठन का महत्व:

- क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के लिए आपसी हित की परियोजनाओं पर जानकारी साझा करने और सहयोग करने का एक अवसर है।
- इसके सदस्य देश एक खुले और खुले इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं।

Yojna IAS

- यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच संवाद के कई मंचों में से एक है और इसे किसी एक विशिष्ट संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए।

'क्वाड ग्रुप' के प्रति चीन का रुख:

- यह एक सामान्य समझ है कि क्वाड किसी भी देश के खिलाफ सैन्य रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। फिर भी, चीन के रणनीतिक समुदाय द्वारा, इसे एक उभरते हुए "एशियाई नाटो" ब्रांड के रूप में वर्णित किया गया है।
- विशेष रूप से, भारतीय संसद में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे के 'दो समुद्रों के संगम' संबोधन ने क्वाड अवधारणा को एक नया बल दिया है। इसने भारत के आर्थिक उत्थान को मान्यता दी है।
-

मौलिक कर्तव्य

- हाल ही में, भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने एक रिट याचिका पर आपत्ति जताई है जिसमें "मौलिक कर्तव्यों को लागू करने / लागू करने और नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कदम उठाने" की मांग की गई है।

पृष्ठभूमि:

- फरवरी 2022 में, व्यापक और अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों के माध्यम से भारतीय संविधान के तहत 'मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन' की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि वर्तमान में प्रदर्शनकारियों द्वारा 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की आड़ में सड़क और रेल मार्ग अवरुद्ध करके विरोध की एक नई अवैध प्रथा अपनाई जा रही है, ताकि सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना पड़े। इसे देखते हुए 'मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन' की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
- नागरिकों को यह याद दिलाना भी आवश्यक है कि संविधान के तहत 'मौलिक कर्तव्य' उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 'मौलिक अधिकार'।

'मौलिक कर्तव्यों' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास:

- अनुच्छेद 51ए के बारे में नागरिकों और छात्रों दोनों को संवेदनशील बनाने के लिए काफी काम किया गया है।
- विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले कर्तव्यों के साथ-साथ संपूर्ण अनुच्छेद 51क को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इस संदर्भ में देश भर में वाद-विवाद आदि का आयोजन किया जाता है।
- देश के नेता – राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री – इस संदर्भ में समय-समय पर देश को संबोधित करते हैं।
- इसके लिए सरकार की ओर से 'एक साल का जागरूकता अभियान' भी चलाया गया है|

रंगनाथ मिश्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला – 2003:

Yojna IAS

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों द्वारा बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। आखिरकार, अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- मौलिक कर्तव्यों को क्रियाशील बनाने पर न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को विचार करने और उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए थे।

इस मांग के पीछे का कारण:

- याचिका में 'कर्तव्य' के महत्व पर भगवद गीता का उल्लेख है। भगवान कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों / चरणों में कर्तव्यों के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं।
- याचिका में तत्कालीन सोवियत संविधान का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें अधिकारों और कर्तव्यों को समान स्तर पर रखा गया था।
- मौलिक कर्तव्य "राष्ट्र के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की गंभीर भावना" पैदा करते हैं। इसलिए इन्हें लागू किया जाना चाहिए।

प्रभाव:

- मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा।
- मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश की रक्षा के लिए तैयार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी राष्ट्रीय सेवा प्रदान करते हैं।
- मौलिक कर्तव्य, एक महाशक्ति के रूप में चीन के उदय के बाद भारत की एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करें।

मौलिक कर्तव्य:

- मौलिक कर्तव्यों (FD) से संबंधित मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- इस खंड को 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिशों के आधार पर '42वें संशोधन अधिनियम' के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। वर्ष 2002 में इस सूची में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
- इस खंड की अवधारणा 'सोवियत संघ' के संविधान से ली गई है।
- अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संभवत: एकमात्र 'जापानी संविधान' में अपने नागरिकों के कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।
- राज्य के नीति निदेशक तत्वों – डीपीएसपी की तरह, 'मौलिक कर्तव्य' भी प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं।

मौलिक कर्तव्यों का महत्व:

- मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाने का काम करते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उन्हें अपने देश, समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए।
- मौलिक कर्तव्य राष्ट्रविरोधी और असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने आदि के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।

Yojna IAS

- मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना पैदा करते हैं।
- मौलिक कर्तव्य इस विचार का निर्माण करते हैं कि नागरिक केवल दर्शक नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं।

मौलिक कर्तव्यों की आलोचना:

- मौलिक कर्तव्यों को गैर-न्यायसंगत प्रकृति का बना दिया गया है।
- इस खंड में शामिल कर्तव्यों की सूची संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें मतदान, कर-भुगतान, परिवार नियोजन आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है।
- आम आदमी के लिए कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहु-अर्थ और समझने में कठिन होते हैं।
- संविधान में 'मौलिक कर्तव्यों' को शामिल करने को कुछ आलोचकों द्वारा निरर्थक करार दिया गया है, क्योंकि उन्हें शामिल न किए जाने पर भी सामान्य रूप से उनका पालन किया जाएगा।
- संविधान के उपांग के रूप में समावेशन 'मौलिक कर्तव्यों' के मूल्य और महत्व को कम करता है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS